



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 101]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषधी विभाग)

(राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

**का.आ. 117(अ).**—राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषधी (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं. का.आ. 2947(अ) तारीख 29 अक्टूबर, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित मोक्सी फ्लोक्सीन+प्रेडनीसोलोन एसिटेट ऑफथैलमिक सोल्यूशन, 1 मिलि, मैसर्स एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और मैसर्स एन्टूड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विपणन, के खुदरा मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित है, तत्काल प्रभाव से वापिस ली जाती है।

[कां. सं. /157/26/2016/वि/फा. सं. 8(26)/2016/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

आनन्द प्रकाश, निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS****(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 13th January, 2016

**S.O. 117(E).**—In exercise of the powers, conferred by paragraph 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby withdraw the Gazette Notification S.O. No. 2947(E) dated 29<sup>th</sup> October, 2015, relating to retail price fixation of Moxifloxacin+Prednisolone Acetate Ophthalmic Solution for 1ml, manufactured by M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. and Marketed by M/s. Entod Pharmaceuticals Ltd, with immediate effect.

[PN/157/26/2016/F/F. No. 8(26)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

ANAND PRAKASH, Dy. Director

184 GI/2016